मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१५

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, २०१५

विषय-सूची.

खण्ड :

१. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.

२. परिभाषाएं.

३. बल का गठन

४. पर्यवेक्षण अधिकारियों की नियुक्ति तथा शक्तियां.

५. बल के नामांकित सदस्यों की नियुक्ति.

६. बल के सदस्यों के प्रमाण-पत्र.

७. बल का अधीक्षण तथा प्रशासन.

८. बल के सदस्यों के कर्तव्य.

९. बल का परिनियोजन.

१०. वारन्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति.

११. वारंट के बिना तलाशी लेने की शक्ति.

१२. गिरफ्तारी के पश्चात् अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया.

१३. औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएं देने का उपबंध.

१४. औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्यों को पुलिस अधिकारियों के समान विशेषाधिकार तथा दायित्वों का होना.

१५. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१६. अपराधों का संज्ञान.

१७. बल के सदस्यों को सदैव कर्तव्य पर समझा जाना तथा राज्य में तथा राज्य के बाहर भी नियोजित किया जा सकना.

१८. दण्ड और अपीलें.

१९. संगम इत्यादि बनाने के अधिकार के विषय में निर्बंधन.

२०. निलंबन के दौरान बल के सदस्यों के उत्तरदायित्व.

२१. बल का सदस्य न रह गए व्यक्तियों द्वारा प्रमाण-पत्र, आयुध आदि का अभ्यर्पण.

२२. १९२२ के अधिनियम क्रमांक २२ का बल के सदस्यों को लागू होना.

२३. कतिपय अधिनियमों का बल के सदस्यों पर लागू न होना.

२४. नियम बनाने की शक्ति.

२५. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ६ सन् २०१५

मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल विधेयक, २०१५

औद्योगिक स्थापनाओं, औद्योगिक उपक्रमों, निजी औद्योगिक उपक्रमों या संस्थाओं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाओं, विद्युत् उत्पादन केन्द्रों, रिफायनरियों, धार्मिक महत्व के स्थानों, पुरातात्विक और विरासत स्थलों, हवाई अड्डों और हैलीपैडों, राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों, शासकीय भवनों, मेट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकायों, शासकीय संस्थापनाओं तथा केन्द्रीय तथा राज्य की संस्थाओं को संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने के लिये तथा निजी क्षेत्र की औद्योगिक स्थापनाओं को तकनीकी परामर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिये राज्य के एक सशस्त्र बल का गठन करने तथा उसका विनियमन करने तथा उससे संसक्त तथा आनुषांगिक विषयों का उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत के गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, २०१५ है.

(२) इसका विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश पर है.

(३) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "स्वशासी निकाय" से अभिप्रेत है स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाली अथवा उस प्रकार कार्य करने की स्वतंत्रता रखने वाली कोई संस्था;

(ख) "संज्ञेय अपराध" का वही अर्थ होगा जो दण्ड प्रक्रिया संहिता, १९७३ (१९७४ का २) की धारा २ के खण्ड (ग) में इसके लिए दिया गया है;

(ग) "महानिदेशक" से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन नियुक्त बल का महानिदेशक;

(घ) "बल का भरती किया गया सदस्य" से अभिप्रेत है अवर अधिकारी से अनिम्न पद श्रेणी का, बल का कोई अधीनस्थ अधिकारी, अवर अधिकारी या कोई अन्य सदस्य;

(ङ) "बल" से अभिप्रेत है धारा ३ के अधीन गठित राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल;

(च) "सरकार" से अभिप्रेत है राज्य सरकार;

(छ) "औद्योगिक स्थापना" से अभिप्रेत है कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा ३ के अधीन यथापरिभाषित कोई औद्योगिक उपक्रम या कोई कंपनी या भारतीय भागीदारी अधिनियम, १९३२ (१९३२ का ९) की धारा ५९ के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई फर्म जो कि किसी उद्योग या किसी व्यापार, कारबार या सेवा में लगी हुई है;

(ज) "औद्योगिक उपक्रम" से अभिप्रेत है किसी अनुसूचित उद्योग से संबंधित कोई उपक्रम और इसमें सम्मिलित है कोई उपक्रम जो किसी ऐसे अन्य उद्योग या किसी व्यापार, कारबार या सेवा में लगा है

जो कि संसद् या राज्य के विधान-मण्डल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विनियमित किए जा सकते हों;

(झ) ''सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है ऐसे औद्योगिक उपक्रम जो—

(एक) कंपनी अधिनियम, २०१३ (२०१३ का १८) की धारा २ के खण्ड (४५) में यथापरिभाषित किसी सरकारी कंपनी द्वारा;

(दो) राज्य के किसी अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी ऐसे निगम द्वारा, जो कि सरकार द्वारा नियंत्रित हो तथा जिसका प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता हो, धारित, नियंत्रित हो अथवा उनके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो.

(ञ) ''संयुक्त उपक्रम'' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा किसी निजी औद्योगिक उपक्रम के साथ संयुक्त रूप से हाथ में लिया गया कोई उपक्रम;

(ट) किसी औद्योगिक उपक्रम के संबंध में ''प्रबंध निदेशक'' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति (चाहे वह प्रबंध अभिकर्ता, महाप्रबंधक, प्रबंधक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी या किसी अन्य नाम से ज्ञात हो) जिसका उस उपक्रम के कार्यों पर नियंत्रण हो;

(ठ) ''बल का सदस्य'' से अभिप्रेत हैं इस अधिनियम के अधीन बल में नियुक्त कोई व्यक्ति;

(ड) ''परिनियोजन का स्थान'' से अभिप्रेत हैं औद्योगिक स्थापनाएं, औद्योगिक उपक्रम, निजी औद्योगिक उपक्रम या संस्थाएं, वाणिज्यिक और वित्तीय संस्थाएं, विद्युत् उत्पादन केन्द्र, पारेषण और वितरण कंपनी, रिफायनरी, धार्मिक महत्व के स्थान, पुरातात्विक और विरासत स्थल, हवाई अड्डे व हैलीपैड, राष्ट्रीय अथवा राज्य राजमार्ग, सरकारी भवन, मैट्रो नेटवर्क, स्वशासी निकाय, केन्द्र और राज्य की संस्थाएं, सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन इत्यादि, जिनके संरक्षण और सुरक्षा के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बल को परिनियोजित किया जा सकेगा;

(ढ) ''विहित'' से अभिप्रेत इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ण) निजी औद्योगिक उपक्रम'' से अभिप्रेत है कोई ऐसा उद्योग जो केन्द्रीय या राज्य सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा धारित, नियंत्रित हो या उसके द्वारा उसका प्रबंध किया जाता हो या सार्वजनिक क्षेत्र में का कोई औद्योगिक उपक्रम;

(त) ''अनुसूचित उद्योग'' से अभिप्रेत है उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, १९५१ (१९५१ का ६५) की प्रथम अनुसूची में उल्लिखित वस्तुओं के विनिर्माण या उत्पादन में लगा हुआ कोई उद्योग;

(थ) ''सामरिक महत्व के अत्यावश्यक संस्थापन'' से अभिप्रेत है विशेष संरक्षण की आवश्यकता वाले समस्त ऐसे अत्यावश्यक और अति संवेदनशील स्थल अथवा क्षेत्र जिन्हें कि समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(द) ''अधीनस्थ अधिकारी'' से अभिप्रेत है निरीक्षक, उप निरीक्षक या सहायक उप निरीक्षक के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति;

(ध) ''पर्यवेक्षण अधिकारी'' से अभिप्रेत है धारा ४ के अधीन नियुक्त कोई अधिकारी और इसमें सम्मिलित है बल के पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई अन्य अधिकारी;

(न) ''अवर अधिकारी'' से अभिप्रेत है हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल के रूप में बल में नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति.